कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम–1970 के नियम 24 (2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) पद पर विभिन्न विषयों हेतु पुनरावलोकन (रिव्यू) के क्रमांकः शिविरा–माध्य/संस्था /डीपीसी/6004/चयन/2022–23 दिनांक 09.02.2023 के द्वारा आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में की गई अनुशंषा के आधार पर अंकित विवरणानुसार चयन किये जाने पर चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर पदोन्नति प्रदान कर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

क्र. स.	चयन विषय	वरिष्ठता क्रमांक	उप क्रमांक	वरिष्ठिता अवधि	चयन वर्ष	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	जन्मतिथि	एम्पलॉई आईडी	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	BIOLOGY	2948	0	2008-2009	2019-20	SC	RAJENDRA JEDIYA	15-04-1971	RJJO1996 25024446	GSSS DAIPADA KHICHIYAN JODHPUR	GSSS SHERGARH (220227) JODHPUR
2	CHEMISTRY	308	0	1997-1998	2018-19		NEETA KUMARI	05-05-1973	RJJJ19972 3011697	GSSS BADANGARH (215790) JHUNJHUNUN	SETH BHAGWANDAS KEJRIWAL GSSS NANAG (215643) JHUNJHUNU
3	HOME SC	3659	0	2014-2015	2020-21		KARUNA UPADHYAY	01-12-1979	RJBI2014 09024205	GGSS NATHUSAR BAS (211253) BIKANER	JAWAHAR MAL BAJAJ GGSSS HIMMATSAR (211439) BIKANER

कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांकः एफ 7(1)कार्मिक/क–2/95/पार्ट दिनांक 16.03.2023 के अनुसार यदि किसी कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात संतानोत्पति के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या 02 से अधिक हो तो ऐसे कार्मिक तीन पश्चातवर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से देय होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक लाभ अनुज्ञेय होंगे तथापि ऐसी काल्पनिक वेतन वृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत नहीं किया जायेगा। संबंधित संस्था प्रधान इन्हें पदोन्नति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व उत्पन्न संतानों के सम्बन्ध में शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेवें। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल so.csection@gmail.com से तुरंत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थनापत्र दिनांक 27/9/23 तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नति कार्मिक को दिनांक 29/9/23 (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेगें। पदोन्नति कार्मिक को दिनांक 29/9/23 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें।

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लेवें कि जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदौन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नहीं हुई हो। अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को, इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था–4/रजीगृ/रिव्यूडीपीसी/2023 दिनांक– 12/09/23

प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित –

01 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एंव माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर
02 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर
03 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एंव भाषा एंव पुस्तकालय विभाग एंव पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
04 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
05 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
06 संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक को भेजकर लेख है कि आवश्यक कार्यवाही शाला दर्पण से संबंधित प्रविष्टियां अपडेट किये जाने हेतु।
07 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
08 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्यवाही के संबध में ।
09 अनुभाग अधिकारी शालादर्पण कार्यालय हाजा आवश्य कार्यवाही हेतु शाला दर्पण से संबंधित प्रविष्टिया अपडेट किये जाने हेतु
10 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.09.12 1?:27:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4582357

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते